भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 12
सोमवार, 20 जुलाई, 2026 (29 आषाढ़ 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई माल के लिए अवसंरचना और निर्यात संभारतंत्र का विकास

12. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2026 के दौरान राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई माल के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) विस्तार अथवा उन्नयन के लिए किन-किन विमानपत्तनों और कार्गो टर्मिनलों को चिह्नित किया गया है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या हवाई माल प्रचालनों को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल और व्यापार को सुगम बनाने वाली अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यातोन्मुख और नश्वर माल की संभलाई - क्षमता को बेहतर बनाने और ढुलाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"हवाई माल के लिए अवसंरचना और निर्यात संभारतंत्र का विकास" के संबंध में डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2026 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में सुधारों को उत्प्रेरित करके हवाई कार्गो अवसंरचना को सुदृढ़ किया है, जिसने अवसंरचना विकास को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित किया है, डिजिटल एकीकरण और अवसंरचना योजना में सुधार को बढ़ावा दिया है। हवाई यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करने, यात्री एवं कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं के आधुनिकीकरण सहित हवाईअड्डा अवसंरचना का विस्तार, आधुनिकीकरण और विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा यातायात की माँग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विमान परिचालन की संरक्षा हेतु परिचालन अपेक्षाओं और एयरलाइनों आदि की माँग के आधार पर निष्पादित की जाती है। मौजूदा कार्गो टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ नई सुविधाओं के विकास के माध्यम से हवाई कार्गो भण्डारण क्षमता में वृद्धि की गई है।

हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पादों के संचलन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए कृषि उड़ान योजना के तहत चयनित हवाईअड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय मालवाहक और पी2सी (पैसेंजर-टू-कार्गो) विमानों को लैंडिंग और पार्किंग प्रभारों से छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत ऐसे चयनित एएआई हवाईअड्डों पर मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी) और टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार (टीएनएलसी) माफ कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रमुख हवाईअड्डों ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी), हवाईअड्डा कार्गो कम्यूनिटी प्रणालियों, सीमाशुल्क प्लेटफॉर्म जैसे आईसगेट (आईसीईजीएटीई) और अन्य डिजिटल व्यापार सुविधा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा इकोसिस्टम के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डों ने निर्यात-उन्मुख और नाशवान कार्गो के लिए हैंडलिंग क्षमता में सुधार और टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए अनेक उपाय लागू किए हैं, जैसे कार्गो अवसंरचना का विस्तार और आधुनिकीकरण, नाशवान कार्गो और फार्मा जोन के लिए समर्पित सुविधाएं, डिजिटलीकरण और कागजरहित कार्गो प्रोसेसिंग एवं कार्गो प्रक्रिया में सुधार।
